भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2993

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

करौली में पेयजल संकट

2993. श्री भजन लाल जाटवः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) करौली जिले में अभी भी पेयजल संकट का सामना कर रहे गाँवों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त जिले में खराब और मरम्मत किए गए हैंडपंपों एवं ट्यूबवेलों की संख्या कितनी है;

(ग) नई पेयजल योजनाओं की स्वीकृति/प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का जल समस्या का सामना कर रहे गाँवों हेतु कोई विशेष पुनर्वास योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क): राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, करौली जिले के सभी गांवों को विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

(ख): राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान करौली जिले में कुल 2,582 हैंडपंप और 880 ट्यूबवेल खराब पाए गए हैं और सभी की मरम्मत कर दी गई है।

(ग): राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, करौली जिले के ग्रामीण परिवारों सहित राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जेजेएम के तहत सभी पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं को मई 2023 तक राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

राजस्थान राज्य द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को जेजेएम की शुरुआत में, करौली जिले में केवल 14,855 (6.41%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 1.36 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 14.12.2025 तक, करौली जिले के 2.32 लाख ग्रामीण परिवारों में से 1.51 लाख (65.2%) ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल कनेक्शन का प्रावधान उपलब्ध है।

(घ): राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऐसे किसी भी गांव की सूचना नहीं मिली है जिसमें पानी की समस्या के कारण पुनर्वास योजना की आवश्यकता हो।

*****